ISBN 978-93-340-6201-4

महिला सुरक्षा एवं अधिकार

(महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में)

डॉ. सरोजिनी महिषी
महिला अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के अधीन)
वेदव्यास परिसर
हिमाचल प्रदेश-177108
www.csu-balahar.edu.in

॥ विषय-सूची ॥

1. नारीणां सुरक्षा अधिकारश्च	प्रो. सत्यम् कुमारी
2. महिलाओं के राजनीतिक अधिकार एवं सशक्तिकरण (नारी शक्ति वन्दन अधिनियम के संदर्भ में)	डॉ. सीमा अग्रवाल
3. नारी वन्दन अधिनियम - अधिकार एवं सुरक्षा	प्रो. संगीता खन्ना
4. महिलायोग:, महिलामहिमसम्बद्धप्राचीनावधानस्थलानि च	डॉ. परमेश कुमार शर्मा
5. लैंगिक समानता एक मानवाधिकार संघर्ष	डॉ. विनी शर्मा
6. भारतीय संविधान में नारी अधिकार और सुरक्षा	डॉ. महीपाल सिंह
7. महिला सशक्तिकरण में ग्रन्थालयों की भूमिका	डॉ. स्नेहलता उपाध्याय
8. संस्कृत-साहित्य में वर्णित महिला-सशक्तिकरण की आधुनिक समय में प्रासङ्गिकता	डॉ. अनुराधा
9. केशव साहित्य में शक्ति स्वरूप का वर्णन	श्री पंकज
10. महिलाओं के खिलाफ़ अपराधों के बारे में ज्ञान और इससे सम्बन्धित कानूनी प्रावधान/नियम	डॉ. छोटी बाई मीना
11. महिला सुरक्षा कानून एवं अधिकारों का दुरुपयोग	डॉ. हरिराम मीना
12. समाज में महिलाओं की भूमिका की समीक्षा	डॉ. विजय सिह मीणा
13. स्वतंत्रता संग्राम में अज्ञात क्रान्तिकारी महिलाओं का योगदान	डॉ. प्रीति शर्मा
14. विविधशास्त्रदृष्ट्या नारीणामधिकार:	डॉ. भूपेन्द्रकुमार ओझा

नारी वन्दन अधिनियम - अधिकार एवं सुरक्षा

प्रो. संगीता खन्ना

महिला आरक्षण विधेयक 2023 के सन्दर्भ में महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा पर विचार आज का सबसे ज्यादा चर्चित विषय है। वर्तमानकालिक विचारधारा, सम्भ्रान्त सशक्त समर्थ वर्ग एवं हाशिए पर रखे गये वर्गों की स्थिति का आकलन करते हुए देखें तो राजनीतिक संस्थानों में महिताओं की सशक्त भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये महिला - आरक्षण एक समाहित प्रयास है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक तन्त्र में पहले महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, समान नागरिक की भाँति उनकी भागीदारी की लम्बी श्रृंखला है। रानी लक्ष्मीबाई से ही प्रारम्भ करें तो आजतक अनगिनत वीरांगनाओं का इतिहास उनके संघर्ष और अविस्मरणीय योगदान की कहानी कहता है। 1947 के स्वतन्त्र भारत का संविधान महिला और पुरुष के समानाधिकार एवं राजनीति में भी सहभागिता को सम्पुष्ट करता है। भारत की प्रथम प्रधानमन्त्री इन्द्रिरा गाँधी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वर्तमान राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मु, श्रीमति किरण वेदी, श्रीमती सुषमा स्वराज, मेनका गाँधी, प्रिंयका गाँधी, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण, विजयाराज सिंधिया, जयललिता, ममता वैनर्जी आदि अनेकानेक महिलाओं की राजनैतिक भूमिका की पहचान मिली है। हाँ, यह बात अलग है कि सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान श्रेणी गत भेद की दृष्टि से देखें तो, समृद्ध सम्भ्रान्त वर्ग ही हिस्सेदार रहा और तदितर अनभिज्ञ, उपेक्षित वर्ग हाशिए पर ही रहा। यहाँ हम केवल पुरुष और महिला वर्ग भेद को ही नहीं, वरन महिला - महिला वर्गभेद की भी आरक्षण की नीति का भेदक मान सकते हैं। महिला सशक्तीकरण एवं महिला समानाधिकार की दिशा में यह भेदक उत्कान्ति का जनक सिद्ध होता है। परिणामतः एक सशक्त वर्ग आरक्षण को स्वीकार नहीं करता।

स्वतन्त्र भारत की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिला वर्ग है। महिलाओं की समस्याओं के बारे में चिन्तन उसके समाधान के लिये नीतिगत निर्णयों के निर्धारण हेतु